उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–8

संख्या— **१९**% / पॉच—8—2020—जी(290) / 2017टी०सी0—II लखनऊ : दिनांक : ६ २ अप्रैल. 2020

कार्यालय जाप

अवगत कराना है कि उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा पी०एम०एच०एस० संवर्ग के 1872 चिकित्सकों का चयन कर उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के कम में व्यक्तिगत काउन्सलिंग करते हुए अब तक 92 विशेषज्ञ चिकित्सकों को एवं 970 सामान्य चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्राथ0स्वा0केन्द्रों / सामु०स्वा0केन्द्रों में तैनात करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या—1053 / पाँच—8—2020—जी(290) / 2017टी०सी0—II, दिनांक 26.03.2020 द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किये जा चुके हैं, जिससे संबंधित सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ की वेबसाइट dgmh पर उपलब्ध है।

- 2— उल्लेखनीय है कि वर्तमान में देश में कोरोना की गम्भीर वायरल महामारी का प्रकोप है। उक्त महामारी से निपटने में चिकित्सकों की भूमिका अहम् है। वर्तमान में मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर गठित समस्त मेडिकल बोर्ड कोरोना महामारी के कारण स्थगित हैं, जिसके दृष्टिगत नव नियुक्त चिकित्सकों का मेडिकल परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा वे सेवा में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। अतः इस कारण उनकी सेवाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है।
- 3— यद्यपि सरकारी सेवा में कोई व्यक्ति किसी स्थायी पद पर स्वास्थ्य का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के बिना मौलिक रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता किन्तु देश में कोरोना की गम्भीर महामारी की स्थिति के दृष्टिगत वित्तीय नियम संग्रह के अध्याय—3 के नियम—10 में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत तात्कालिक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण से छूट प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल उक्त नवनियुक्त चिकित्साधिकारियों को इस शर्त के साथ योगदान प्रदान करने की अनुमित प्रदान करते हैं कि लॉक डाउन की स्थिति समाप्त होने तथा मेडिकल बोर्ड के गठित होने के उपरान्त उनके द्वारा यथाशीध्र मेडिकल कराकर, मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय परीक्षा में अस्वस्थ घोषित किये जाने पर संबंधित चिकित्साधिकारी की नियुक्ति अमान्य हो जायेगी।

अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव।

<u>संख्या— १६९%</u> (1)/पॉच—8—2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित :-

- 1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2. निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3. समस्त अपर निर्देशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
- 5. गार्ड फाईल।

आङ्गी से, (शिवगोपाल सिंह) उप सचिव।